न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 99/2020

वादीगण–

1. कालु पुत्र श्री कादर बक्ष
2. युसूफ उर्फ जसबू पुत्र श्री कादर बक्ष
3. जान मोहम्मद पुत्र श्री कादर बक्ष
4. बाबु पुत्र श्री कादर बक्ष
5. सत्तार पुत्र श्री कादर बक्ष

जातियान– छींपा , निवासीगण– फरड़ोद , तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अनवर पुत्र श्री कादर बक्ष
2. बेगम पुत्री श्री कादर बक्ष
3. मंगतू उर्फ गटा पुत्री श्री कादर बक्ष

जातियान– छींपा , निवासीगण– फरड़ोद , तहसील–जायल, जिला–नागौर।

4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री चन्द्राराम बिडियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 22/6/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बडेर की पुश्तैनी भूमि मौजा फरड़ोद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1392 रकबा 13.12 बीघा , खसरा नंबर 1439/1853 रकबा 0.10 बीघा , खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा, खसरा नंबर 1659 रकबा 7.05 बीघा रहती चली आई है। जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 में सहखातेदारी में दर्ज है। पक्षकारान् ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा 30 वर्ष पूर्व में वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से घ) के अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है। जिसकी बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी बाबु के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1659 रकबा 7.05 बीघा में से 1.07 बीघा उतरी भाग व खसरा नंबर 1392 रकबा 13.03 बीघा में से 1.07 बीघा मध्य भाग व खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा में से 2.06 बीघा मध्य भाग रखा गया है। प्रतिवादी अनवर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1659 रकबा 7.05 बीघा में से 5.18 बीघा दक्षिणी भाग रखा गया है। वादी जान मोहम्मद के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1392 रकबा 13.03 बीघा में से 5.18 बीघा पूर्वी भाग रखा गया है। वादी युसुफ के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का 1392 रकबा 13.03 बीघा में से 5.18 बीघा पश्चिमी भाग रखा गया है। वादी कालु के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा

22/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा में से 5.18 बीघा पश्चिमी भाग रखा गया है। वादी सत्तार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा में से 5.18 बीघा पूर्वी भाग रखा गया है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1439/1853 रकबा 0.10 बीघा पूरा रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच आपसी बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 वे 3 ने दिनांक 14.10.2020 व प्रविताादी संख्या 1 ने दिनांक 3.08.2021 को ईकबालिया जबाब पेश किया जिसमें वादीगण की पहचान अधिवक्ता इन्द्रसिंह राठौड़ ने की तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री चन्द्राराम बिडियासर ने की। इकबालिया जबाब शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है , जो कि वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रकरण हाजा में ईकबालिया जबाब पेश होने तथा प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नहीं किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र अनवर पुत्र कादर बक्ष, सत्तार खां पुत्र कादर बक्ष एवं जाकिर अली पुत्र कालू खां निवासी फरड़ोद, बाबु पुत्र कादर खां के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम फरड़ोद तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 673 प्रदर्श–1, सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या 562 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के द्वारा ईकबालिया जबाब पेश किया जा चुका है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक वाद में वर्णित पैराज माफिक एवं नजरीनक्शानुसार अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 द्वारा सहमति स्वरूप ईकबालिया जबाब पेश होने तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 14.10.2020 व 03.08.2021 के अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादीगण के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 द्वारा प्रस्तुत ईकबालिया जबाब पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

कार्यालय ग्राम पंचायत, फरड़ोद (पं.स. जायल) नकल

राजस्व वाद 99/2020
जीसीएमएस नंबर– 2020/00170
कालु वगैरह बनाम् अनवर वगैरह

अपेक्षित होते है, जो कि किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत ईकबालिया जबाब दिनांक 14.10.2020 व 03.08.2021 में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा फरड़ोद के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि पक्षकारान् द्वारा वादग्रस्त खेतायों में मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नंबर 1659, 1392, 1607, 1439/1853 का बंटवाड़ा चाहा है। पक्षकारान् द्वारा उक्त खेतायों मे से हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाड़ा चाहा गया है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा फरड़ोद के खेत खसरा नंबर 1659, 1392, 1607, 1439/1853 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 07.03.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 07.03.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 05 दिनांक 16.5.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी एवं प्रतिवादी युसुफ अली, जान मोहम्मद, बाबु, सत्तार, अनवर, जुबेदा ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान सदाम, उमरदीन, अमीन तथा भू.अभि.निरीक्षक फरड़ोद की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के नाम मुतदाविया खेतायों मे से कोई भूमि नहीं रखी गई है ना ही कन्ही अन्य जगह भूमि होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है इसलिये मामला भूमि अन्तरण का प्रतीत होने से प्रतिवादी संख्या 2 से 3 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प शुल्क जमा कराया जाना न्याय संगत है। अतः मौजा फरड़ोद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1392 रकबा 13.12 बीघा , खसरा नंबर 1439/1853 रकबा 0.10 बीघा , खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा, खसरा नंबर 1659 रकबा 7.05 बीघा भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा फरड़ोद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1392 रकबा 13.12 बीघा , खसरा नंबर 1439/1853 रकबा 0.10 बीघा , खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा, खसरा नंबर 1659 रकबा 7.05 बीघा भूमि का विभाजन

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

कार्यालय ग्राम पंचायत फरड़ोद (पं.स. जायल) नकल

राजस्व वाद 99/2020
जीसीएमएस नंबर– 2020/00170
कालु वगैरह बनाम् अनवर वगैरह

पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी बाबु के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा में से 2.06 बीघा मध्य भाग रखा गया है।
2. प्रतिवादी अनवर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1659 रकबा 7.05 बीघा पूरा रखा गया है।
3. वादी जान मोहम्मद के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1392 रकबा 13.03 बीघा में से 6.18 बीघा पूर्वी भाग रखा गया है।
4. वादी युसुफ के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का 1392 रकबा 13.03 बीघा में से 6.18 बीघा पश्चिमी भाग रखा गया है।
5. वादी कालु के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा में से 5.18 बीघा पश्चिमी भाग रखा गया है।
6. वादी सत्तार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा में से 5.18 बीघा पूर्वी भाग रखा गया है।
7. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1439/1853 रकबा 0.10 बीघा पूरा रखा गया है।
8. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प डयूटी अदा करने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
9. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
10. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जायल

राजस्व वाद 99 / 2020
जीसीएमएस नंबर– 2020 / 00170
कालु वगैरह बनाम् अनवर वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्याः 99 / 2020

1. कालु पुत्र श्री कादर बक्ष
2. युसूफ उर्फ जसबू पुत्र श्री कादर बक्ष
3. जान मोहम्मद पुत्र श्री कादर बक्ष
4. बाबु पुत्र श्री कादर बक्ष
5. सत्तार पुत्र श्री कादर बक्ष
   जातियान– छींपा , निवासीगण– फरड़ोद , तहसील–जायल, जिला–नागौर।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अनवर पुत्र श्री कादर बक्ष
2. बेगम पुत्री श्री कादर बक्ष
3. मंगतू उर्फ गटा पुत्री श्री कादर बक्ष
   जातियान– छींपा , निवासीगण– फरड़ोद , तहसील–जायल, जिला–नागौर।
4. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण की ओर से
2. श्री चन्द्राराम बिडियासर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से।
3. प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री इन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्राराम बिडियासर व प्रतिवादी संख्या 4 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाकर – यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा फरड़ोद तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1392 रकबा 13.12 बीघा , खसरा नंबर 1439 / 1853 रकबा 0.10 बीघा , खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा, खसरा नंबर 1659 रकबा 7.05 बीघा भूमि का विभाजन पक्षकारान् / सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार किया जाकर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादी बाबु के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा में से 2.06 बीघा मध्य भाग रखा गया है।
2. प्रतिवादी अनवर के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1659 रकबा 7.05 बीघा पूरा रखा गया है।

2/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 99/2020
जीसीएमएस नंबर– 2020/00170
कालु वगैरह बनाम् अनवर वगैरह

3. वादी जान मोहम्मद के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1392 रकबा 13.03 बीघा में से 6.18 बीघा पूर्वी भाग रखा गया है।
4. वादी युसुफ के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का 1392 रकबा 13.03 बीघा में से 6.18 बीघा पश्चिमी भाग रखा गया है।
5. वादी कालु के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा में से 5.18 बीघा पश्चिमी भाग रखा गया है।
6. वादी सत्तार के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1607 रकबा 14.02 बीघा में से 5.18 बीघा पूर्वी भाग रखा गया है।
7. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सामलाती हक बंट कब्जा काश्त में मौजा फरड़ोद का खेत खसरा नंबर 1439/1853 रकबा 0.10 बीघा पूरा रखा गया है।
8. प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम मुतदाविया खेतायों में से कोई भूमि नहीं रखी गई है। इसलिये प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का नियमानुसार राजहक में स्टाम्प डयूटी अदा करने पर ही राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।
9. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
10. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। (रहन होने पर)

निर्णय आज दिनांक 22/6/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/6/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

22/6/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)